(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **18** अप्रैल, **2018**

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "ग्लासवेयर" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 7013 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/45/2016-डीजीएडी, दिनांक **05** मार्च, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि -

(क) मैसर्स शेंडोंग फुलोंग ग्लास टेक्नोलॉजी कं. के द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुओं को छोड़कर, प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था;

(ख) विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है, और

(ग) यह सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत माल, मैसर्स शेंडोंग फुलोंग ग्लास टेक्नोलॉजी कं. के द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुओं को छोड़कर, अन्य विषयगत देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण हुई है, ।

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त

सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि और विषयगत माल के प्रति इकाई अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि प्रति इकाई अवतरण मूल्य कॉलम (8) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो, में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अमरीकी डॉलर में)	इकाई
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	एंग्हुई झिंग्मिंग ग्लास कं.	एंग्हुई झिंग्मिंग ग्लास कं.	955.27	मैट्रिक टन
2	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	एंग्हुई केंग्टाई ग्लासवेयर टेक्नोलॉजी कं.	एंग्हुई केंग्टाई ग्लासवेयर टेक्नोलॉजी कं.	955.27	मैट्रिक टन

3	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शेंडोंग फुलोंग ग्लास टेक्नोलॉजी कं.	शेंडोंग फुलोंग ग्लास टेक्नोलॉजी कं.	लागू नहीं	मैट्रिक टन
4	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शेंडोंग फुलोंग ग्लास टेक्नोलॉजी कं.	किंग्डो जैमी इम्पो. एंड एक्स. कं.	लागू नहीं	मैट्रिक टन
5	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	एंग्हुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं.	एंग्हुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं.	955.27	मैट्रिक टन
6	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट,	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	अन्य	अन्य	955.27	मैट्रिक टन

		ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।						
7	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	चीन जनवादी गणराज्य	प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने वाले देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	955.27	मैट्रिक टन
8	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने वाले देशों से भिन्न कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	955.27	मैट्रिक टन
9	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	955.27	मैट्रिक टन

10	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	इंडोनेशिया	प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने वाले देशों से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	955.27	मैट्रिक टन
11	7013	सभी प्रकार के सोडा लाईम ग्लासवेयर जो कि टेबल, किचेन, टायलेट, ऑफिस या इंडोर डेकोरेशन के काम में आते हों ।	प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने वाले देशों से भिन्न कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	955.27	मैट्रिक टन

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, -

(i) इन आयातों का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क में दिए गए शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं ।

(ii) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी

किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/76/2018 - टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार